न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 02/2022
GCMS CASE NO-2022/2

1. रामचन्द्र पुत्र खिराज जाति कुम्हार निवासी सूरतगढ तहसील सूरतगढ।

–अपीलांट

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र सुथार अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट

:: निर्णय :: दिनांकः– 27-03-2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 08.09.2006 जिसके द्वारा अपीलांट का रोही कस्बा सूरतगढ़ के ख.न. 496/7 की 6.325 है0 टीसी भूमि को खारिज कर दिया गया है उसके विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है।
2. प्रकरण में अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के द्वारा पारित निर्णय 08.09.2006 मिसल संख्या 193/2006 रामचन्द्रबनाम स्टेट का पारित निर्णय मिसल रिकार्ड के विपरीत एक तरफा, विधि और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किए जाने के कारण निरस्तं किये जाने योग्य है।। अपीलांट को कस्बा सूरतगढ के ख.न. 496/7 में 25.00 बीघा भूमि टीसी आवंटन सम्वत 2036 में हुई थी। मौका पर अपीलांट का कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध पारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 496/7 की 6.325 है0 भूमि टीसी आवंटन सम्वत 2036 में हुई थी। टीसी आवंटन की दिनांक से ही मौका पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस रकबा बाबत् पटवारी हल्का ने नगरपालिका सीमा मानकर शर्तो का उल्लंघन दर्शा कर तहसीलदार सूरतगढ ने दिनांक 08.09.2006 को जैर अपील टीसी आवंटन रकबे को खारिज कर दिया है। मातहत न्यायालय का निर्णय निम्न कारणों से खारिज योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट द्वारा मिसल में जवाब नोटिस शामिल किया था जिसकी अनदेखी करते हुए अपीलांट के पीठ पीछे पारित किया गया है। अपीलांट काफी समय से बीमारा रहता है जिसकी वजह से अपीलांट न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। अपीलांट जैर अपील आदेश पारित करने तक रकम व मालकाना जमा करवाते आ रहे है। अपीलांट का पेशा काश्तकारी है मौका पर अपीलांट का कब्जा काश्त है।अपीलांट राजस्थान कामूल निवासी है पेशा काश्तकारी है भूमिहीन श्रेणी के व्यक्ति है। उक्त रकबा टीसी आवंटनया खातेदारीअधिकार प्राप्त करने का पूरा [illegible] है। इसलिए भी अपील स्वीकार है। अपीलांट द्वारा रोही कस्बा [illegible] के ख.न. [illegible]/7 [illegible] है0 बारानी टीसी भूमि की नकल लेने गया गया पटवारी [illegible] आवंटित रकबा [illegible] या व जैर अपील आदेश के बारे मे बताया अतः तहसीलदार सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 8.9.2006 को निरस्त फरमाया जावे।
3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ [illegible] का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:48:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

सुरेन्द्र सुथार उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट की ओर से पैरोकार राज .प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 20.12.2021 को पटवारी हल्का के पास रकबा की खातेदारी हेतु गिरदावरी की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 496/7 की 6.325 है0 बारानी टीसी आवंटित रकबे को आराजी राज बताय जिसकी नकल दिनांक 23.12.2021 को प्राप्त हुई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को विधिवत सुने बिना ही एक पक्षीय पारित किया है। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील देरी से पेश नही की गई है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा एकतरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेंटस ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्ड़न करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील लगभग 14 वर्ष पश्चात पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था। अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 08.09.2006 रामचन्द्र बनाम स्टेट खिलाफ रिकार्ड के विपरीत पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के खिलाफ है। जो निरस्ती योग्य है। व अपील स्वीकार योग्य है। यह कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार राजस्व सूरतगढ दिनांक 8.9.2006 द्वारा अपीलांट के नाम की रोही रोही कस्बा सूरतगढ में खसरा न0 496/7 में 6.325 है0 भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लेण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आरजी काश्त रकबा को निरस्त किया गया। अधिकार क्षेत्र से बाहर कानून विपरीत आदेश होने से निरस्ती योग्य है। भूमि आराजी आवंटन थी जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसीलदार सूरतगढ ने विधि प्रक्रिया के विपरीत पत्रावली एवं साक्ष्य की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश बाबत् निरस्ती आरजी काश्त आवंटन पारित किया गया है। उक्त आवंटन को निरस्त करने का अधिकार केवल जिला कलक्टर को है। इसलिये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला पारित किया गया है। अपीलांट को भूमिहीन काश्तकार पेशा मानते हुए सम्वत 2036 को आवंटन कमेटी द्वारा रो[illegible] बीघा है0 भूमि का आवंटन आदेश फरमाया उसके पश्चात उक्त भूमि [illegible] बदस्तुर होता रहा है तथा अपीलांट द्वारा रकम राज भी [illegible] साबित है। अपीलांट द्वारा रोही सूरतगढ [illegible] 496/7 की [illegible] बीघा भूमि पर कडी मेहनत कर व परिश्रम करके काबिल काश्त बनाया है। [illegible] अपीलांट का श्रम के साथ साथ आर्थिक व्यय भी हुआ है। भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लेण्ड आवंटन [illegible] 1996 के अंतर्गत आराजी काश्त रकबा को निरस्त किया गया है। अपीलाधीन भूमि को निरस्त करने बाबत् किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:48:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

नोटिस विधिवत रूप से तामील नही हुआ, तामील कुनिंदा द्वारा सरसरी तौर पर नोटिस की तामीली दिखा दी जबकि अपीलांट पर नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील नही हुआ है। नोटिस बिना अदालत के आदेश पारित किये हुए चस्पांदगी के द्वारा दिखाई गई जो कि विधि के विरूद्ध है। इसके आगे की गयी समस्त कार्यवाही अवैध व अधिकार क्षेत्र से परे जाकर की गयी कार्यवाही है। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्ती योग्य है।

8. तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय दिनांक 8.09.2006 आवंटन नियमों के अंतर्गत तकारी शर्तो के विपरीत पारित किया गया है। आरजी काश्त आवंटन नियम 1956 में कही भी तहसीलदार को आवंटन निरस्ती के अधिकार नहीं है। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रारम्भिक रूप से AB INITOIO WRONG परिभाषा में आता है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा फैसले में माइंड एल्लाई नहीं किया गया है। अपीलांट आवंटित भूमि पर जो आज भी काबिज है एवं उसे अपीलाधीन आदेशों में अंकित वेस्ट लेण्ड आवंटन नियमों में आवंटन हुआ ही नही है ये नियम 1996 में बने जब कि अपीलांट को प्रशनगत भूमि सम्वत 2136 से चही आ रही है। आवंटन नियमों में रकम राज में जमा होने व धारण होने पर पुख्ता आवंटन एवं भार मुक्त होने पर उपनिवेशन खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार थे वेस्ट आवंटन लेण्ड नियम 1996 restrospective effect से लागू नही है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा इस सम्बंध मे रूलिंग्स भी पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 08.09.2006 अधिकार क्षेत्र से बाहर प्रकिया व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त फरमाया जावे। सम्वत 2036 में आवंटन हुई थी उस पर प्रशनगत भूमि पैराफेरी में घोषित नहीं थी शुद्ध आरजी काश्त भूमि का आवंटन हुआ है। द्वितीय भूमि उपनिवेशन मुक्त होने पर राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 में आने के पश्चात अपीलांट नियमानुसार खातेदारी का पात्र है। आज भी भूमि पैराफेरी क्षेत्र में नही आती है इसकी जांचा कतई जांच नही की गयी व ना ही शपथ पत्र पर पटवारी हल्का के बयान लिये गये बल्कि रिपोर्ट को ही निर्णय का आधार बना लिया कि इस प्रकार के निराधार बिना सुने बिना विधि प्रकिया अपनाये आदेश अपीलाधीन कतई कायम रहने योग्य नहीं है।अपीलांट का आवंटितभूमि पर आज भी कब्जा काश्त में है। अपीलांट के आवंटन को अधिनस्थ अदालत द्वारा पैराफेरी में आने व टीसी शर्तो का उल्लंधन मान कर खारिज किया हैं। इस फैसला में यह स्पष्ट नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस में यह उल्लेख किया है कि उक्त भूमि 2 किमी की परिधी में नही आती है। अपने स्तर पर इन तथ्यों की कतई जांच नही की गयी है। अपीलांट वर्तमान में भूमि की खातेदारी अधिकार पाने योग्य है। अपीलाधीन प्रथमत AB INITOIO WRONG क्षेत्राधिकार से बाहर होने से अप्रभावकारी है जिसका अपीलांट को कतई जानकारी नही थी। अपीलांट दिनांक 11.02.2022 को पटवारी हल्का के पास जैर अपील रकबा की खातेदारी हेतु गिरदावरी की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने रोही सूरतगढ के ख.न. 496/7 की 25.00 बीघा भूमि अराजी राज बताया आदेश का ज्ञान हुआ, ज्ञान होते ही नकल हेतु आवेदन बिना देरी किये जो बाद तैयारी नकल दिनांक 23.12.2021 को प्राप्त कर अपील धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत कर अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की है। अतः दिनांक 08.09.2006 को अधिकार क्षेत्र से बाहर प्रकिया व तथ्यों के विपरीत पारित माना जाकर निरस्त फरमाया जावे।

9. रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पटटा) 1955 की शर्तो व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत वेस्टलेण्ड हेतु बने नियमों के नियम 1996 व राज्य सरकार के परिपत्र 15.12.2005, .2.20[illegible] क्षेत्र में आती है इस भूमि का न तो नवीनीकरण /पुख्ताआवंटन किया [illegible] कि खातेदारी दी जा सकती है। उक्त आदेशों की पालना [illegible] सूरतगढ़ द्वारा [illegible] की भूमि का कब्जा बहक सरकार किया गया है।अपीलांट को [illegible] बाहर होने के कारण खारिज योग्य हैं। [illegible] जा चुकी थी। अतः अपील अपीलांट खारिज की जानी उचित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:48:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नख.न. 496/7 में 25.00 भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन हुई थी। टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन की शर्तो की अक्षरक्षःपालना नहीं की गई है। टीसी खारिज होने के पश्चात अपीलांट का कब्जा काश्त इस भूमि पर नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, जबकि टीसी आवंटन के लिए निरंतर कब्जा काश्त होना अतिआवश्यक था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा काश्त सिद्ध नही हो रहा है। अपीलांट को यह रकबा कभी भी पुख्ता आवंटन नही हुआ है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय दिनांक 08.09.2006 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:48:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner